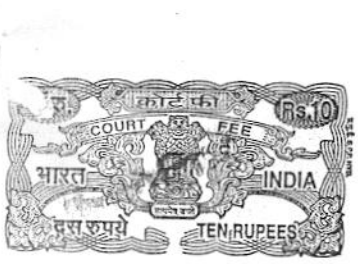

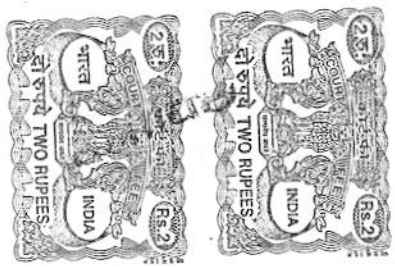

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2011–12 जिला–अशोकनगर

सिराजखां पुत्र गुलाबखां मुसलमान, निवासी ग्राम कर्र, तहसील मुंगावली, अशोकनगर (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

1. प्यारे खॉ पुत्र गुलाब मुसलमान, निवासी ग्राम कर्र, तहसील मुंगावली, अशोकनगर (म.प्र.)
2. आशिक मौहम्मद,
3. नूर मौहम्मद,
4. साद मौहम्मद,
5. राज मौहम्मद पुत्रगण जरदार खॉ, निवासी ग्राम कर्र, तहसील मुंगावली, अशोकनगर (म.प्र.)
6. विलकीन पत्नी गनी मौहम्मद पुत्र जरदार खॉ, चिरवास, तहसील मुंगावली, अशोकनगर (म.प्र.)
7. जुले खॉ पत्नी शब्बीर खॉ पुत्र जरदार खॉ, निवासी ग्राम गुरैया, तहसील ईसागढ़, जिला अशोकनगर
8. हनीपा पत्नी फरीद मौहम्मद पुत्र जरदार खॉ, निवासी ग्राम गुरैया, नई सराय, तहसील ईसागढ, जिला अशोकनगर
9. सामरा पत्नी मौहम्मद पुत्र जरदार खॉ निवासी नरखेडा, बहादुरपुर, तहसील मुंगावली, अशोकनगर (म.प्र.)
10. समीना पत्नी श्री पप्पू खॉ पुत्री जरदार खॉ, निवासी मुंगावली, जिला अशोकनगर (म.प्र.)
11. फजीला पत्नी इकबाल पुत्री जरदार खॉ निवासी कुरवाई, जिला विदिशा
12. फरजाना पत्नी आरीफ पुत्री जरदार खॉ, निवासी देवरी, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा (मचप्र.)

...... अनावेदकगण

न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 60/2009–10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24.01.2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर सविनय प्रस्तुत है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2. यहकि, अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विधिवत विचार किये बिना ही जो आदेश पारित किये है, वह नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से प्रथमदृष्टि में ही अपास्त किये जाने योग्य है।

3. यहकि, आवेदक की ओर से उपरोक्त प्रकरणों में जो तथ्य अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष उठाये गये थे उन पर विचार किये बिना तथा अपना निष्कर्ष दिये बिना एवं बिना कोई कारण लिखे अनावेदक कमांक 1 की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया गया है, जोकि कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से प्रथमदृष्टि में ही अपास्त किये जाने योग्य है।

4. यह कि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष जो आवेदन पत्र आदेश 22 नियम 3 एवं 4 सी.पी.सी. के अधीन अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रस्तुत किया गया था उसमें समस्त विधिक वारिसानों को पक्षकार नहीं बनाया गया था, जब वह आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार थे, अतः ऐसी स्थिति में जो आदेश विचारण न्यायालय द्वारा एवं अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित किया गया है, वह विधि एवं प्रकिया के होने से प्रथमदृष्टि में अपास्त किये जाने योग्य है।

5. यह कि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा अनावेदक कमांक 1 की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र को बिना किसी कारण से स्वीकार किया गया है जबकि उनके द्वारा विधिक त्रुटि की गयी थी क्योंकि उन्होंने सभी आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाया गया था, अतः ऐसी विधिक त्रुटि मान्य किये जाने योग्य नहीं थी फिर भी अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त बिन्दु पर जो आदेश पारित किये गये है, वह नितान्त, अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

भिभावकों स्ताक्षर

प्र.क्र. -27/11-12 -27/08-09

[पीछे देखिये

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग–677/दो/12 जिला अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा ाकों आदि के हस्ताक्षर
7.2.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपर कलेक्टर जिला अशोकनगर के प्रकरण कमांक 60/2009–10/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24/01/12 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन प्रथम निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15/04/19 को उपस्थित हों। पेशी दिनांक 15/4/19 सदस्य **अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर**	